रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032022-234254
CG-DL-E-16032022-234254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943
No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

सा.का.नि. 211(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 139 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा comments-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को अंतरदेशीय गैर-परिवहन वाहन नियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क. "अधिनियम" का आशय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) है;

ख. "ड्राइविंग लाइसेंस" का आशय मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस है, जो उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट श्रेणी या निरूपण के मोटर वाहन को चलाने के लिए अधिकृत करता है;

ग. "बीमा पॉलिसी" का आशय बीमा की पॉलिसी है जो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XI की आवश्यकताओं के अनुपालन में जोखिमों को कवर करती है;

घ. "अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट" का आशय है अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन, 1949 और/या उसकी पुष्टि करने वाले और भारत और अन्य देशों, जो 19 सितंबर, 1949 को जिनेवा में हस्ताक्षरित सड़क यातायात पर कन्वेंशन के पक्षकार हैं, द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी बाद के कन्वेंशन के तहत जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट से है;

ङ. "गैर-परिवहन वाहन" का आशय एक मोटर वाहन से है जो परिवहन वाहन नहीं है (एक परिवहन वाहन में एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल गाड़ी, एक शैक्षणिक संस्थान बस या एक निजी सेवा वाहन शामिल है);

च. "पीयूसी प्रमाणपत्र" का आशय है मोटर वाहन की उत्सर्जन सीमा की जांच करने के लिए मूल देश के शासन के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र;

छ. "पंजीकरण प्रमाण पत्र" जब मोटर वाहन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो इसका आशय मूल देश के शासन के अनुसार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है;

ज. "पंजीकरण चिह्न" का आशय है एक पंजीकृत संख्या, या एक पंजीकृत अक्षर और संख्या, या पंजीकृत अक्षर और संख्या या मोटर वाहन को सौंपा गयी संख्या

3. वाहन - भारत में प्रवेश करते समय दूसरे देश में पंजीकृत एक गैर-परिवहन वाहन का निर्माण और रखरखाव इस तरह किया जाएगा कि वह इसे चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण में हर समय बना रहे।

4. आवश्यक दस्तावेज - (1) मेजबान देश में ठहरने की अवधि के दौरान अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत चलने वाले वाहन (वाहनों) में निम्नलिखित दस्तावेज ले जाए जाएंगे, अर्थात्: -

(i) एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र;

(ii) वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो;

(iii) एक वैध बीमा पॉलिसी;

(iv) एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो);

(2) उपरोक्त खंड 1 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज, एक यात्री वाहन के निरीक्षण के लिए भारत में प्रवेश करते समय और ठहरने की पूरी अवधि के दौरान मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के कब्जे में होंगे और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।

(3) यदि उपरोक्त खंड 1 में संदर्भित दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ ले जाया जाएगा।

(4) पंजीकरण चिह्न, अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रदर्शित होने की स्थिति में, वाहन के आगे और पीछे अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

5. प्रतिबंध-भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के क्षेत्र के भीतर स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।

6. यातायात नियमों का अनुपालन - भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 118 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

7. नियमों का विचलन, यदि कोई हो - अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों और भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के बीच कोई विरोध होने की स्थिति में, बाद वाला इन नियमों को प्रबल या अधिक्रमित करेगा।

[फा. सं. आरटी-11036/205/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ...., दिनांकित............ को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या.........., दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2022

G.S.R. 211(E).—The following draft of certain rules proposed to be made in exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 139 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called as the Inter-Country Non-Transport Vehicle Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

a. "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

b. "Driving Licence" means the licence issued by a competent authority of the origin country, authorising the person specified therein to drive a motor vehicle of any specified class or description;

c. "Insurance Policy" means a policy of insurance which covers risks in compliance with the requirements of Chapter XI of the Indian Motor Vehicles Act, 1988;

d. "International Driving Permit" means the international driving permit issued under the International Convention of Road Traffic, 1949 and/or any subsequent Convention ratifying the same and signed by India and other countries who are parties to the Convention on Road Traffic signed at Geneva on 19th day of September, 1949;

e. "Non-transport vehicle" means a motor vehicle which is not a transport vehicle (a transport vehicle includes a public service vehicle, a goods carriage, an educational institution bus or a private service vehicle);

f. "PUC certificate" means Pollution Under Control Certificate issued by appropriate authorities as per the regime of the origin country to check a motor vehicle's emission limits;

g. "Registration certificate" when used with reference to a motor vehicle means the registration certificate issued as per the regime of the origin country;

h. "Registration mark" means a registered number, or a registered letter and number, or registered letters and number or numbers assigned to a motor vehicle

3. Vehicles -A non-transport vehicle registered in the other country, when entering India, shall be so constructed and maintained as to be at all times under the effective control of the person driving it.

4. Documents required —(1) The following documents shall be carried in the vehicle(s) operating under Inter-Country Non-Transport Vehicle Rules during the duration of stay in the host country, namely:–

(i) A valid registration certificate;

(ii) A valid driving license or international driving permit, whichever is applicable;

(iii) A valid insurance policy;

(iv) A valid pollution under control certificate (if applicable in the origin country);

(2) All the documents referred to in clause 1 above, shall be in the possession of the person driving the motor vehicle at the time of entering India and during the entire period of stay and shall always be available for inspection by the respective competent authority to inspect a passenger vehicle.

(3) In case the documents referred to in clause 1 above are in a language other than English, then an authorized English translation, duly authenticated by the issuing authority, shall be carried along with the original documents.

(4) Registration mark, in case displayed in any language other than English, shall be exhibited in English at the front and back of the vehicle.

5. Restrictions-Motor vehicles registered in any country other than India shall not be permitted to transport local passengers and goods within the territory of India.

6. Compliance with Traffic rules –Motor vehicles registered in any country other than India shall be required to comply with rules and regulations made under Section 118 of Motor Vehicles Act, 1988 of India.

7. Deviation of rules, if any -In case there is any conflict between the Inter-Country Non-Transport Vehicle rules and the bilateral agreements between India and other country(ies), the latter shall prevail or supersede these rules.

[F. No. RT-11036/205/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R…………, dated the ………… and last amended vide notification number …..…..(E), dated the …...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR